



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1339]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2012/आषाढ़ 27, 1934

No. 1339]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2012/ASADHA 27, 1934

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(भूमि लागत निर्धारण शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

विषय : शैक्षणिक संस्थानों/ट्रस्टों, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य समाज कल्याण सोसाइटियों आदि, जिन्हें आयकर से छूट मिली हुई है, के संबंध में अतिरिक्त एफ ए आर प्रभारों में छूट देना ।

का.आ. 1606(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2432(अ), दिनांक 10-10-2008 और का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 में, शैक्षणिक सोसाइटियों/स्वास्थ्य देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों आदि के लिए, जहाँ पर भूमि को बेचने/निपटान करने का तरीका अभी भी आवंटन ही है, सांस्थानिक प्लॉटों 6(छ) हेतु अतिरिक्त एफ ए आर प्रभारों के लिए लागू की जाने वाली दरों के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

तदनुसार, दिनांक 10-10-2008 और 23-12-2008 की इन अधिसूचनाओं का पैरा 6(छ) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—

क्रम सं.	मद	मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संशोधित दरें
1.	सांस्थानिक प्लॉटों 6 (छ) के लिए अतिरिक्त एफ ए आर प्रभार	आयकर से छूट प्राप्त शैक्षणिक सोसाइटियों, स्वास्थ्य देखभाल और समाज कल्याण सोसाइटियों से कोई अतिरिक्त एफ ए आर प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा ।

दिनांक 23-12-2008 की अधिसूचना की अन्य बातें अपरिवर्तित रहेंगी ।

अतिरिक्त एफ ए आर प्रभारों में छूट भारत सरकार द्वारा भविष्य में संशोधन करने और अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगी ।

[फा. सं. एफ 2 (163) 07/ए ओ (पी)/पार्ट-II.]

डॉ. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Land Costing Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

Subject : Exempting additional FAR charges in respect of Educational institutions/Trusts, Health-care and other social welfare societies etc. having exemption from Income tax.

S.O. 1606(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following modification to Notification S.O. 2432(E), dated 10-10-2008 and S.O. 2955(E), dated 23-12-2008 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) with regard to fixation of rates to be applied for additional FAR charges for Institutional plots. 6(g) for Educational Societies/Health-care, Social Welfare societies etc. where mode of disposal of land is still allotment.

Accordingly Para 6(g) of these notifications dated 10-10-2008 and 23-12-2008 shall be amended by the following :

Sl. No.	Item	Modified Rates approved by the Ministry
1.	Additional FAR charges for Institutional plots. 6(g).	No additional FAR charges to be recovered from Educational societies/Health-care and Social welfare societies having Income Tax Exemption.

The other contents of the notification dated 23-12-2008 will remain unchanged.

The exemption of additional FAR charges will remain in force till further modification and notification by the Government of India.

[F. No. F 2(163)07/AO(PyPt-II)]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.